



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र 1943 (श०)
(सं० पटना 262) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अप्रील 2021

सं० 15/औ०-02-18/2014-516(15)/स्वा०
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प
26 मार्च 2021

श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05 (विभागीय पत्रांक- 1795(15) दिनांक 02.09.2009 द्वारा अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना के अधीन प्रतिनियुक्त) सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया की प्रतिनियुक्ति विभागीय पत्रांक- 1795(15), दिनांक-02.09.2009 द्वारा अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना के अधीन की गयी थी। पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में दवा रसायन, रि-एजेन्ट, उपकरण एवं मशीन आदि के क्रय में बरती गई अनियमितता की जाँच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया, जिसमें निगरानी थाना कांड संख्या-061/2013, दिनांक-25.09.2013 द्वारा धारा-406/409/420/120(बी) भा०द०वि० एवं 13(2) सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ्र०नि०अधि०, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया के विरुद्ध धारा-19 भ्र०नि०अधि०, 1988 एवं धारा-197 द०प्र०स० के प्राधानों के अन्तर्गत अभियोजन चलाने हेतु निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के पत्रांक-3457 दिनांक-18.12.2013 के द्वारा स्वीकृति देने हेतु आग्रह किया गया। विधि विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-123/जे० दिनांक-22.05.2014 द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। जाँच में पाया गया कि पी०एम०सी०एच० के तत्कालीन अधीक्षक, संबंधित उपाधीक्षक, संबंधित विभागाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, लेखापाल, संबंधित क्रय लिपिक के द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के मेल में आकर एम०आर०पी० से अधिक मूल्य पर क्रय करने, मशीन उपकरण को निर्माता कम्पनी के दर से काफी अधिक दर पर क्रय करने एवं बिना आकलन किये जानबूझ कर खपत से कई गुणा अधिक मात्रा में क्रय करने की कार्रवाई की गयी, जिसके कारण सरकारी राशि 12,63,62,970/- रुपये का दुर्विनियोग प्रकाश में आया, जिसके क्रम में तत्कालीन औषधि निरीक्षक, श्री अशोक कुमार यादव के विरुद्ध मिलिभगत कर सरकारी राशि का दुर्विनियोग का स्पष्ट साक्ष्य पाया गया।

उपरोक्त आरोपों के कारण श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया, परन्तु सरकार को हुई राशि की हानि से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहने के कारण कितनी राशि

की हानि हुई यह स्थापित नहीं किया जा सका। जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अशोक कुमार यादव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(xi) के संगत नियमों के तहत 'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी' का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया, जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1490, दिनांक-23.09.2020 के द्वारा सहमति प्रदान की गयी। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आदेश प्राप्त है।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05 (विभागीय पत्रांक-1795(15) दिनांक-02.09.2009 द्वारा अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना के अधीन प्रतिनियुक्त) सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14(xi) के तहत 'सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी' का दंड संसूचित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अशोक कुमार यादव, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना-05, सम्प्रति औषधि निरीक्षक, गया सदर अनुमंडल, गया एवं सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम ईश्वर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 262-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>